न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व प्रकरण :- 70/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हकीम खां पुत्र अलादीन 2. बच्चू खां पुत्र अलादीन जाति सिपाही निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1. प्रतापा पुत्र भागीरथराम 2. मोहनलाल पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई नि0 बरजासर तह0 फलोदी जिला जोधपुर 3. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली 4. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 16.01.2023

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 494/1 रकबा 10.3680 हैक्टेयर सरहद मौजा शिवसागर पटवार हल्का चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणीया, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है [illegible] प्रार्थीगण अपने-अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। [illegible] उक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि के मूल खसरा नम्बर [illegible] भूमि पैमाईश करवाने हेतु तत्कालीन तहसीलदार साहब फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) फलोदी ने कमांक 65/958 दिनांक 01.10.1991 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का मानाराम द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण, गांव के मौजीज मुखिया व पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:57
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बाप

भूमि पैमाईश मुश्तकिल बिन्दू से की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार तहसीलदार, फलोदी के कार्यालय में जमा करवा दी। मूल खसरा नम्बर 494 रकबा 128-00 बीघा भूमि वर्तमान में सभी सहखातेदारों में अपने पैतृक हिस्से अनुसार वर्तमान खातेदारों में विभक्त हो चुकी है एवं पैमाईश दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 को आधार मानकर आपसी सहमति खाते अलग-अलग तरह तकसीम कर रखी है। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 494/1 की तकसीम शुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण भोजासर गांव के रहवास करते है एवं बरसात में अपने उक्त खसरा की भूमि पर काश्त करते एवं उसका उपभोग उपयोग करते एवं परिवार सहित रहवास करते आ रहे है। आज दिन तक प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि की सीमा का किसी पड़ौसी खातेदार के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा है। हाल ही में प्रार्थीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि खसरा नम्बर 194/1 रकबा 10.3680 हैक्टेयर के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो ग्राम शिवसागर पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा नम्बर 497 रकबा 16.6730 हैक्टेयर बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 ने पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने से मना कर दिया और पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी की हम पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने नहीं देंगें और जबरदस्ती प्रार्थीगण के खेत में खूंटे रोपने पर आमादा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में आगामी काश्त करेंगे तो उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नही हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 सरकारी पैरवीकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया के [illegible] सागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा [illegible] हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण की हद में पैमाईश फर्द [illegible] 08.10.1991 के अनुसार प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना [illegible]चित है पत्रावली बहस में रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम शिवसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील

उप खण्ड अधिकारी-बाप

जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 494/1 रकबा 10.3680 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण का अपने-अपने हिस्से पर कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्ण आ रहा है। उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा किये गये कृषि कार्य को नुकशान कारित होगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद्द में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076-2079, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम शिवसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 494/1 रकबा 10.3680 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, प्रार्थीगण ने दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 को उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करवाई थी जो मौका फर्द से प्रमाणित होता है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि की पत्थर गड्ढी करवाने का पूरा-पूरा अधिकार है, सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की पत्थर गड्ढी किया जाना उचित बताया है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की अपनी हद्द में पत्थर गड्ढी करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शिवसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 494/1 रकबा 10.3680 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 07.10.1991 व 08.10.1991 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature No

Digitally signed b
Date: 2024.02.06
Reason: SelfAtte

उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)